भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1074
दिनांक 10 **फरवरी**, 2021

गैस टैंकरों के आवंटन में आरक्षण

1074 **श्री नीरज डांगी** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस टैंकरों की आपूर्ति के लिए आमंत्रित निविदाओं में अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति श्रेणी को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2018 में इस संबंध में खुली निविदा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ उनमें से कितने लोगों ने खुली निविदा में भाग लिया;
(ग) क्या इस श्रेणी के लिए आरक्षित टैंकरों का लगभग 57 प्रतिशत सरकार द्वारा आवंटित नहीं किया गया, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) इस बैकलॉग को कब तक पूरा किये जाने की उम्मीद है; और
(ड.) क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य राजस्थान के टैंकरों पर सीमा प्रभार की उगाही करते हैं, जबकि यह लोक सेवा है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**)

(क) और (ख): जी, हां। तेल विपणन कंम नियों (ओएमसीज) ने बताया है कि बल्क परिवहन संविदा 2018 में प्राप्त कुल 10484 बोली प्रस्तावों में से 2034 बोली प्रस्ताव अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति के बोलीदाताओं से प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ): ओएमसीज ने बताया है कि बल्क एलपीजी परिवहन संविदा 2014 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचति जनजाति बोलीदाताओं की भागीदारी केवल 3-4% थी। तथापि, बल्क परिवहन संविदा 2018 में प्रस्तावित ट्रकों की संख्या बढ़ाकर 15.2 प्रतिशत कर दी गई है। पूरे आरक्षित ट्रकों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति बोलीदाताओं के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत मांग के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित ट्रकों की संख्या अपर्याप्त रही है।

(ड.): ओएमसीज ने बताया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य राजस्थान के टैंकरों से बार्डर प्रभारों की वसूली नहीं कर रहे हैं।

*****